Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **टोंक में राजकीय अभिभाषक, न्यायालय जिला कलक्टर एवं उसके दलाल (अधिवक्ता) को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *15 अप्रैल।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर टोंक इकाई द्वारा आज गुरूवार को कार्यवाही करते हुये न्यायालय जिला कलक्टर, टोंक के राजकीय अभिभाषक जुगनू शर्मा एवं उसके दलाल (अधिवक्ता) बसन्त कुमार जैन को 10 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी. बी. की टोंक इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि न्यायालय जिला कलक्टर, टोंक में दर्ज रेफरेंस में परिवादी के पक्ष में निर्णय करवाने एवं सरकार की तरफ से अपील नहीं करवाने की एवज में राजकीय अभिभाषक जुगनू शर्मा द्वारा उसके दलाल अधिवक्ता बसन्त कुमार जैन के मार्फत 20 हजार रुपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की टोंक इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आहद खान** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये जुगनू शर्मा पुत्र श्री जगदीश नारायण शर्मा निवासी 1/159, हाउसिंग बोर्ड, टोंक हाल राजकीय अभिभाषक, न्यायालय श्रीमान् कलक्टर, जिला टोंक को उसके दलाल बसन्त कुमार जैन पुत्र श्री नरेन्द्र कुमार जैन निवासी रिजनल स्कूल वाली गली, कोतवाली के पास, टोंक हाल अधिवक्ता, टोंक को परिवादी से 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।